न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 02/2019

सन्नू पुत्र छोट्या जाति मीणा निवासी नसवारा तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायव तहसीलदार वैर।

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश नायव तहसीलदार वैर दिनांक 04.12.2018 व मुकदमा सरकार बनाम सन्नू मि0न0 75/2018

उपस्थित :– 1. श्री गोविन्द सिंह डांगुर, अभिभाषक अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 15.09.2021

अपीलान्ट ने यह अपील खिलाफ आदेश नायव तहसीलदार वैर दिनांक 04.12.2018 पेश की गई है। तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय ने अपीलान्ट को ग्राम नसवारा की आराजी खसरा नम्बर 257 किस्म गैरमुमकिन रास्ता रकवा 1.05 है0 में से 20X20 वर्गफुट पर अतिक्रमण मानते हुये बेदखल कर पैनल्टी की आज्ञा दी गई है। उक्त आदेश के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। मूल तहत पत्रावली शामिल मिसिल है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा खिलाफ कानून एवं

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

रिकार्ड के विपरीत है जो काविल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने अधिवक्ता द्वारा जबाब नोटिस अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का के कोई बयान नहीं हुये है और न ही साक्ष्य प्रस्तुत करने का अपीलान्ट को कोई अवसर नहीं दिया गया है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अपीलान्ट के द्वारा निर्माण ग्राम पंचायत पाली की मंजूरी प्राप्त करने के बाद किया गया। सरकारी रास्ते की भूमि पर कही भी कोई भी निर्माण व अतिक्रमण नहीं किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा कोई पैमाईश नहीं की गई है और न ही पटवारी हल्का से जिरह का मौका दिया गया है। आराजी खसरा नम्बर 267, 257 के बाबत दावा न्यायालय सिविल न्यायाधीश वैर उनवानी मूलचन्द बनाम सन्नूराम दावा मैन्डेटरी इन्जैक्शन एवं स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 जा.दी. प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें सिविल न्यायाधीश वैर द्वारा मौके की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश भी जारी किया हुआ है। जहां रेगूलर दावा जैसी कार्यवाही विचाराधीन हो वहां धारा 91 एल.आर.एक्ट जैसी समरी कार्यवाही नहीं चल सकती है। अन्त में वकील अपीलान्ट ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत नायव तहसीलार वैर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.12.2018 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को वखूबी अधिकार प्राप्त है। अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। इसलिए तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार अपील अपीलान्ट खारिज

अतिरिक्त जिला कलक्टर

की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.12.2018 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पटवारी हल्का पाली की मौका रिपोर्ट दिनांक 10.08.2018 सलग्न है जिसमें सन्नू पुत्र छोटया जाति मीना निवासी नसवारा द्वारा आराजी खसरा नम्बर 257 रकवा 1.05 है0 में से 20X20 वर्गफुट पर पुख्ता निर्माण कर अतिक्रमण करना अंकित किया है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपने जबाब में ग्राम पंचायत पाली के द्वारा दिनांक 25.01.2018 को निर्माण स्वीकृति एवं दिनांक 15.08.2018 को जारी पट्टा के द्वारा काबिज होना बताया है। राजस्व न्यायालय और सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार अलग–अलग है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा ग्राम पंचायत पाली के द्वारा जारी पट्टा के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट नहीं ली गई है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु नायव तहसीलदार वैर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते है।

अतः आदेश है कि

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण नायव तहसीलदार वैर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुये तथा प्रकरण में ग्राम पंचायत पाली द्वारा जारी पट्टे की जांच कराकर नियमानुसार गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)